प्रेस विज्ञप्ति
12.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डीएमएफ (जिला खनिज निधि) घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 04 स्थानों पर 09.08.2024 और 10.08.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान 1.11 करोड़ रुपये की नकदी और बैंक बैलेंस जब्त/फ्रीज किया गया है।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनीतिक कार्यपालकों के साथ मिलीभगत करके डीएमएफ ठेकेदारों द्वारा सरकारी खजाने के पैसे की हेराफेरी में संलिप्तता के लिए दर्ज 03 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। यह मामला छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि से धन के उपयोग में भ्रष्टाचार से संबंधित है। डीएमएफ खनिकों द्वारा वित्तपोषित एक ट्रस्ट है, जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के हित के लिए काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि ठेकेदारों ने अधिकारियों और राजनीतिक अधिकारियों को भारी मात्रा में कमीशन/अवैध रिश्वत दी है, जो अनुबंध मूल्य का 25% से 40% है। रिश्वत के भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई नकदी विक्रेताओं द्वारा समायोजन प्रविष्टियों(एकोमोडेशन इंट्री) का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी। प्रविष्टि प्रदाताओं और उनके संरक्षकों पर तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न आपत्तिजनक विवरण, कई नकली स्वामित्व वाली संस्थाएँ और भारी मात्रा में नकदी मिली। तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप, 76.50 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है; प्रविष्टि प्रदाता फर्मों से संबंधित 8 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है, जिनमें लगभग 35 लाख रुपये खाते में शेष है । नकली फर्मों से संबंधित विभिन्न स्टाम्प और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।